भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2121
सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक)

डीएसईयू द्वारा पॉलिटेक्निक संस्थाओं के लिए शुल्क में वृद्धि

2121. **श्री शेर सिंह घुबायाः**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली कौशल और उद्यमशीलता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) ने अपने तत्वावधान में कार्यरत विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थाओं, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र विशेष रूप से पंजाब के छात्र राज्य के बाहर के कोटे के अंतर्गत प्रवेश लेने के बाद अध्ययन करते हैं, के शुल्क में भारी वृद्धि की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डीएसईयू में कर्मचारियों की भारी कमी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क)से(घ) दिल्ली कौशल और उद्यमशीलता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन एक विश्वविद्यालय है। यह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार के दायरे में नहीं आता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) देश में विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण के लिए सांविधिक संगठन है। यूजीसी ने अवगत कराया है कि राज्य (सार्वजनिक/निजी) विश्वविद्यालय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित अधिनियम, संविधि, अध्यादेश, नियमों और विनियमों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शासित होते हैं। सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों और दिशानिदेशों का अनुपालन करना भी आवश्यक है।

इस संबंध में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बताया है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआइज) को संकाय की भर्ती के संबंध में अनुस्मारक भेज रहा है जिसमें रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने हेतु महत्वपूर्ण उपाए सुनिश्चित करने तथा भर्ती प्रक्रिया की स्थिति को विश्वविद्यालय कार्यकलाप निगरानी पर अपलोड करने के लिए अनुरोध किया गया है। यूजीसी ने रिक्त पदों को भरने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को संबोधित दिनांक 16 जुलाई, 2024 के अपने पत्र की एक प्रति भी भेजी है (अनुलग्नक-I)।

जहां तक पॉलिटेक्निकों का संबंध है "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)" देश में पॉलिटेक्निकों सहित तकनीकी संस्थानों के लिए मानदंडों और मानकों की योजना बनाने,

निरूपण और अनुरक्षण हेतु सांविधिक प्राधिकरण है, जो उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अधीन है।

उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि एआईसीटीई से अनुमोदन प्राप्त संस्थानों को संबंधित राज्य शुल्क विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क को अपनाना होता है। यह अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (एपीएच) (2024-25 से 2026-27) के खंड 6.34 में अधिदेशित है। उन्होंने आगे अवगत कराया है कि डीएसईयू जो एनसीटी, दिल्ली सरकार का निकाय है, ने 2024-25 के लिए एआईसीटीई से अनुमोदन नहीं मांगा हैं।

अनुबंध-1

'डीएसईयू द्वारा पॉलिटेक्निक संस्थाओं के लिए शुल्क में वृद्धि' के संबंध में लोक सभा के दिनांक 09.12.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2121 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव
Prof. Manish R. Joshi
Secretary

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grands Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

अर्धशासकीय पत्र सं. 1-14/2019(सीपीपी-II) (सी.सं.146777) 16 जुलाई, 2024/25 आषाढ 1946

विषयः विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालय संस्थानों और महाविद्यालयों में संकाय की भर्ती

आदरणीय महोदया/महोदय,

कृपया विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालय संस्थानों और महाविद्यालयों में संकाय की भर्ती के संबंध में दिनांक 4 जून, 2019, 31 जुलाई, 2019, 7 अगस्त, 2019, 5 सितंबर, 2019, 22 अक्टूबर, 2019 और 26 नवंबर, 2021 (प्रतियां संलग्न) के समसंख्यक कार्यालय पत्र का अवलोकन करें।

सभी विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालय संस्थानों और महाविद्यालयों से एक बार पुनः अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएं कि आपके विश्वविद्यालय के साथ-साथ आपके विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए और भर्ती प्रक्रिया की स्थिति 31 जुलाई, 2024 को या उससे पहले यूजीसी के विश्वविद्यालय कार्यकलाप निगरानी पोर्टल http://www.ugc.ac.in/uamp/ पर अपलोड की जाए।

सादर,

भवदीय,

(मनिष जोशी)

संलग्नकः उपरोक्तानुसार
सेवा में,
सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति।
सभी महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्य।